

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप--6

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश

राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर कॉलम संख्या 06 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। निम्न कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50(1) के प्रावधानानुसार 45 वर्ष की आयु एवं 15 वर्ष की सेवा दोनों ही शर्तें पूर्ण करते हैं, उक्त नियमों के अन्तर्गत कॉलम सं-06 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्रम	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राउमावि/राबाउमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	अनिल कुमार व्याख्याता, राउमावि कोहिना-तारानगर-चूरु	इतिहास	10-11-1962	02-08-1986	01-09-2018

2 यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज दिनांक तक--

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(नयमल डिडेल)

आर्.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक-31/8/18

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/31853/स्वै.सेवानिवृत्ति/2017-18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान,
2. सम्बन्धित उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, चूरु
3. सम्बन्धित उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, बीकानेर
4. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चूरु
5. सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राउमावि कोहिना-तारानगर-चूरु को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याता के कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर नियमानुसार अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करें। (रजिस्टर्ड)
6. अनिल कुमार व्याख्याता- इतिहास राउमावि कोहिना-तारानगर-चूरु
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग/एसीआर अनुभाग/एबी अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक के वरिष्ठता सूची पर सम्बन्धित इन्द्राज करावे।
8. प्रभारी ओएसी- संस्थापन सी अनुभाग
9. निजी / रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर